

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 90/3170

पटना, दिनांक 15-1-18

सं० सं०-05/उ० नि० ब० (आवंटन) 08/2017

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

सहायक उद्योग निदेशक (लेखा),
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय :-

मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-102- औद्योगिक उत्पादकता, मांग संख्या-23, उपशीर्ष 0163-व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन विकास एवं रखरखाव-बिहार व्यापार विकास कोष, विपत्र कोड 23-2852801020163, वित्तीय वर्ष 2017-18 में तृतीय तल पर स्थित विभागीय सभागार में दो अतिरिक्त Digital Signage 55" के अधिष्ठापन हेतु विषय शीर्ष-0163.52.02, मशीने एवं उपस्कर-अन्य मद में कुल रू० 81,300/- (एकासी हजार तीन सौ रूपये) मात्र के योजना के स्वीकृति के आलोक में आवंटन।


महाशय,

उक्त बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में विषय शीर्ष-0163.52.02, मशीने एवं उपस्कर-अन्य मद में कुल रू० 81,300/- (एकासी हजार तीन सौ रूपये) मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

- 2 इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-102- औद्योगिक उत्पादकता, मांग संख्या-23, उपशीर्ष 0163-व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन विकास एवं रखरखाव-बिहार व्यापार विकास कोष, विपत्र कोड 23-2852801020163, वित्तीय वर्ष 2017-18 में तृतीय तल पर स्थित विभागीय सभागार में दो अतिरिक्त Digital Signage 55" के अधिष्ठापन हेतु विषय शीर्ष-0163.52.02, मशीने एवं उपस्कर-अन्य मद के अन्तर्गत विकलित होगा।
- 3 यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2017-18 के स्वीकृत्यादेश सं० 160 दिनांक 10.01.18 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
- 4 राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि०(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 के आलोक में ही किया जाये तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- 5 राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखा जाये :-
 - (क) योजना के स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।
 - (ख) एक इकाई के राशि दूसरे इकाई में व्यय नहीं किया जाय।
 - (ग) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाय ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।
 - (घ) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी० भी० नं०/बिल नं० के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।
 - (च) 2017-18 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2018 तक अवश्य भेज दें।

(छ) मुख्य बजट शीर्ष-2852-उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-102- औद्योगिक उत्पादकता, मांग संख्या-23, उपशीर्ष 0163-व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन विकास एवं रखरखाव-बिहार व्यापार विकास कोष, विपत्र कोड 23-2852801020163, वित्तीय वर्ष 2017-18 में तृतीय तल पर स्थित विभागीय सभागार में दो अतिरिक्त Digital Signage 55" के अधिष्ठापन हेतु विषय शीर्ष-0163.52.02, मशीने एवं उपस्कर-अन्य मद में कुल रू0 81,300/- (एकासी हजार तीन सौ रूपये) मात्र के आवंटन के आलोक में उक्त स्वीकृत्यादेश/राज्यादेश में निहित निदेश के अनुरूप व्यय किया जाए।

विश्वासभाजन




उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक. 90/3110/

पटना, दिनांक. 15.1.19

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक. 90/3119

पटना, दिनांक. 15.1.18

प्रतिलिपि :- योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ए0सी0-डी0सी0 यू0सी0 कोषांग, उद्योग विभाग/प्रशाखा-05, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक(योजना), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना एवं आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।